

फर्द अहकाम

बनाम

शालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

दि/प्राथमिक पत्र/मुकदमा नम्बर :

पत्र/आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/2/21	<p>अस्थायी पेश हुयी। कसुलाब द्वारा कंडोलेन्स/ करने के कारण कार्यवाही नहीं कारवाही दिनांक 6/3/21-</p> <p>6/3/21- फतावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप०। वकील अप्रार्थी गण ① लगा ③ अनुपस्थित। अतः ④ अप्रार्थी गण ① लगा ③ के विरुद्ध शक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।</p> <p>फतावली में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर वाही अधिवक्ता द्वारा शक पक्षीय बहस की गयी। फतावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने एवं दौराने बहस जाहिर तर्हों पर मनन उपरान्त वादग्रस्त खसरा नम्बर 774 रकबा 0.1200 है। ग्राम ग्वालिनी, पखार हल्का माथोगढ़, भू. अ. नि क्षेत्र तूंगा, तहसील तूंगा जिला जयपुर के संबंध में प्रतिवादी गण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी से संबंधित मूलवाद मूलवाद 78/20 24 उनवान गोपाल बनाम जगदीश व अन्य के तर्फेसला वाद के उक्त खसरा नं. पर मौके की यथास्थिति बनाये रखें। फतावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दायिल फर्द होकर नम्बर से कम हो।</p>	